UPSI010016892026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3, सीतापुर</u>

C.I.S No-723/2026

रोहित उर्फ कालिया आयु 45 वर्ष पुत्र कल्लू, निवासी ग्राम गेगंलापुर, थाना मिश्रिख, जिला सीतापुर।

...........अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ....अभियोजक।

मु०अ०सं०–42/2025
धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
थाना–पिसांवा, जिला सीतापुर।

<u>दिनांक–28.03.2026</u>

<u>निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र</u>

अभियुक्त रोहित उर्फ कालिया की ओर से मु०अ०सं०–42/2025 धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना पिसांवा, जिला सीतापुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया है और न ही लम्बित है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा थाना पिसांवा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वह अन्य हमराहियान के साथ थानाक्षेत्र भ्रमण में व्यस्त था। उन्हें जनता के लोगों से सूचना मिली कि अभियुक्त रोहित उर्फ कालिया के नेतृत्व में अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है और आवेदक/अभियुक्त इस गैंग का मुखिया है। यह गैंग अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु आपराधिक कार्य करते हैं तथा अपराध करने में अभ्यस्त अपराधी हैं। इनका थानाक्षेत्र एंव अन्य लोगों में भय व आतंक व्याप्त है। इनके विरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति पुलिस में शिकायत करने एवं न्यायालय में गवाही देने से डरता है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में रंजिशन व झूठा फंसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। उसे स्थानीय पुलिस ने पकड़कर फर्जी मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। वह अपनी जमानत के सम्बन्ध में सक्षम व विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने को तैयार है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद बराबर हाजिर न्यायालय आता रहेगा। कभी भी गैर हाजिर नहीं होगा और न ही जमानत का दुरूपयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा न सत्र न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में दिया गया है न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुकदमें के निस्तारण तक उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है और तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त गैंग का लीडर है तथा उसके विरूद्ध 6 मुकदमें पंजीकृत हैं। यदि

अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल हो जायेगा। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध कराये गए अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक में आवेदक/अभियुक्त को गैंग का लीडर होना बताया गया है। पत्रावली में संलग्न गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध कुल छः मुकदमें जनपद सीतापुर में पंजीकृत होना दर्शाया गया है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त पर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, लूट आदि जैसे घटना कारित की गयी थी, जिनका गैंगचार्ट तैयार कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय प्रेषित किया गया हैं तथा अभियुक्त का जनपदीय संगठित गिरोह होना एवं उसके द्वारा चोरी नकबजनी जैसे जघन्य अपराध भौतिक व आर्थिक दुनियावी लाभ हेतु बी०एन०एस० की धारा 17 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्थ अपराधी हैं। गैंग चार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में चोरी और गृह अतिचार के मुकदमे पंजीकृत किये गये हैं जिससे अभियुक्त की लगातार अपराध कारित करते रहने में संलिप्तता प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति में यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः किसी आपराधिक कृत्यों में शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त गैंगचार्ट में अंकित सह अभियुक्त जसवन्त जोकि गैंग का सदस्य होना दर्शित है, की जमानत पूर्व में दिनांक 09.06.2025 को न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः मामले की गम्भीरता व तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रोहित उर्फ कालिया की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–28.03.2026

(अवनीश कुमार–1)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–3, सीतापुर।
J.O.Code UP02737

पंकज/–

Awanish Kumar

Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.03.31 15:31:25 +05'30'